



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 16 अक्तूबर, 2014 / 24 आश्विन, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग—सी अनुभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 14 अक्तूबर, 2014

संख्या: गृह—सी(ई)1—1/2013.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची—2 में निम्नलिखित और संशोधन करती है;

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 से संलग्न अनुसूची-2 में रोड कोड 7 के पश्चात् निम्नलिखित रोड कोड और रोड का नाम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“प्रतिबन्धित-8 रीगल सिनेमा से जोधा निवास वाया जिलाधीश निवास/होटल ड्रीमलैंड।”।

आदेश द्वारा,
मनीश गर्ग
सचिव (गृह)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Home-C(E)1-I/2013 dated as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

DEPARTMENT OF HOME-C-SECTION

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th October, 2014

No. Home-C(E)1-1/2013.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 (Act No.2 of 2008), the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following further amendment in Schedule II appended to the said Act:—

In SCHEDULE-II appended to the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007, after Road Code ‘R-7’, the following Road Code and the name of the road shall be added, namely:—

“R-8. Regal Cinema to Jodha Niwas via Deputy Commissioner’s residence/Hotel Dream Land”.

By order,
MANEESH GARG,
Secretary (Home).

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 13 अक्टूबर, 2014

संख्या मुद्रण (बी) 10-32/2010.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में अनुभागपाल (जिल्दबन्धी), वर्ग—III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध “क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, अनुभागपाल (जिल्दबन्धी), वर्ग—III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या मुद्रण (बी) 2-16/96, तारीख 17 नवम्बर 1998 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग अग्रणी (जिल्दबन्धी), वर्ग—III (अराजपत्रित), भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1998 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
मनीषा नंदा,
प्रधान सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

उपाबन्ध क

हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में अनुभागपाल (जिल्दबन्धी), वर्ग—III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.—अनुभागपाल (जिल्दबन्धी)
2. पद (पदों) की संख्या.—02 (दो)
3. वर्गीकरण.—वर्ग — III (अराजपत्रित),
4. वेतनमान.—(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : पे बैंड : ₹10300—34800/— जमा ₹3200/— ग्रेड पे ।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां ₹13,500/— प्रतिमास(स्तम्भ संख्या 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार)।
5. “चयन” पद अथवा अचयन’.—अचयन पद :
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों, तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्पूर्वी ऐसे निगमों स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं, /किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :
(क) अनिवार्य अर्हता(ए).—(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से 10+2 पास या इसके समतुल्य ।

(ii) केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त, किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से जिल्दबन्धी के ट्रेड में दो वर्ष का नेशनल ट्रेड/प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र या इसके समतुल्य हो ।

(ख) वांछनीय अर्हता(ए).— हिमाचल प्रदेश की रुढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति(यों) की दशा में लागू होंगी या नहीं : आयु.—लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता.—लागू नहीं ।

9. परीक्षा की अवधि यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे ।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सेकेण्डमेंट स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा । संविदा कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, सेकेण्डमेंट, स्थानान्तरण किया जाएगा.—सहायक अनुभागपाल (जिल्दबन्धी) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो । ऐसा न होने पर सहायक अनुभागपाल (जिल्दबन्धी) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका सहायक अनुभागपाल (जिल्दबन्धी) और कम्प्यूटर (जिल्दबन्धी)/वेयर हाऊस ऑपरेटर के रूप में संयुक्ततः पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या की

गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें सहायक अनुभागपाल (जिल्दबन्धी) के रूप में दो वर्ष का सेवाकाल अनिवार्य होना चाहिए :

प्रोन्नति के प्रयोजनों के लिए पात्र कर्मचारियों की उनके सेवाकाल के आधार पर, उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छोड़े बिना, एक संयुक्त वरिष्ठता सूची विहित की जाएगी :

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार या उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने अपने प्रवर्ग/पद/संवर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण:—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैकनीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में, ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियों नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएगी :—

(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में अनुभागपाल (जिल्दबन्दी), को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त अनुभागपाल (जिल्दबन्दी), को 13,500/—रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास सदं त्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है, तो पश्चात्तर्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 405/— रुपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध 'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 13,500/— रुपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 405/—रुपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्, एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश तथा दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को उपरोक्त के सिवाय किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी ।

परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की उस अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा ।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0 आर0, एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे ।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के

परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध "ख"

अनुभागपाल (जिल्दबन्धी), और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति..... पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने अनुभागपाल (जिल्दबन्धी), के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:-

1. यह कि प्रथम पक्षकार अनुभागपाल (जिल्दबन्धी), के रूप में.....से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 13500/- रूपए प्रति मास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण, ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त अनुभागपाल (जिल्दबन्धी), एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त अनुभागपाल (जिल्दबन्धी), को उपरोक्त के सिवाये किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

परन्तु अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर

कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनपु स्थिति के हालात, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी। परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की उस अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा ।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में :-

1.

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2.

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department Notification No : Mudran (B)10-32 / 2010 dated 13-10-2014 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th October, 2014

No: Mudran(B)10-32/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal

Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of **Section Holder (Binding), Class-III (Non-Gazetted)**, in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure-“A” attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, **Section Holder (Binding), Class-III (Non-Gazetted)**, Recruitment and Promotion Rules, 2014

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra. Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Section Holder (Binding), Class-III, (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1998 notified vide this department Notification No: Mudran(B)2-16/96 Dated 17-11-1998 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By order,
MANISHA NANDA,
Pr. Secretary (P&S).

ANNEXURE “A”

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SECTION HOLDER (BINDING) CLASS-III (NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH

- 1. Name of the Post.**— Section Holder (Binding).
- 2. Number of Post(s).**— 02 (Two).
- 3. Classification.**— Class-III (Non-Gazetted).
- 4. Scale of Pay.**—(i) *Pay Scale for regular incumbents.*—Pay Band : Rs.10300-34800/- + Rs. 3200/- Grade Pay .
(ii) *Emoluments for contract employees.*—Rs. 13,500 /- P.M. (as per details given in Col.15-A.)
- 5. Whether “Selection post” or “ Non-Selection post”.**—Non -Selection
- 6. Age for direct recruitment.**— Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such *ad hoc* or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies, who are/ were subsequently appointed by such corporations/Autonomous Bodies and who are/ were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(2) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits(s).—
(a) Essential Qualification(s):—(i) 10+2 or its equivalent from a recognized Board of School Education/ University.

(ii) Two years National Trade/ Apprenticeship Certificate in the trade of Binding or its equivalent from an I.T.I or from an Institution duly recognized by the Central / State Government.

OR

Five years experience as Supervisor in Binding Section of a Government /an ISO certified Private Printing Press.

(b) Desirable Qualification(s):—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and Suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s)?.—Age:—Not applicable.

*Educational Qualification:—*Not Applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion, failing which by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract

basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in col.No: 15-A and will be governed by the service conditions as specified in the said Column.

11. In case of recruitment by promotion, secondment/ transfer grade from which promotion/ secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Assistant Section Holder (Binding) who possess three years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service if any in the grade, failing which by promotion from amongst the Assistant Section Holder (Binding) who possess five years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service as Assistant Section Holder (Binding) and Computer (Binding)/ Ware House Operator combined, out of which 2 years essential service must be as Assistant Section Holder (Binding);

For the purposes of promotion a combined seniority list of eligible officials on the basis of length of service without disturbing their cadre-wise inter-se-seniority, shall be prescribed.

(1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion, subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules;

(i) provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post / cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION:—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion, if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule 3 of Exservicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

2. Similarly, in all cases of confirmation continuous *ad hoc* services rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with provisions of the R&P Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.— A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of practical and viva-voce test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be .

15-A Selection for appointment to the post by contract recruitment.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:—(a) Under this policy, the **Section Holder (Binding)** in the Department of Printing & Stationery will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable, on year to year basis ;

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB:—The Controller, Printing & Stationery Department , after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. **HP Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.**

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—The **Section Holder (Binding)** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.13,500/- per month (which shall be equal to the minimum of the pay band plus grade pay.) An amount of Rs.405/-(3% of the minimum of pay band+grade pay) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:—The Controller, Printing and Stationery Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS :—Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Subordinate Services Selection Board Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTEE.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Subordinate Services Selection Board Hamirpur from time to time.

(VI) (AGREEMENT).—After selection of a candidate, he /She shall sign an agreement as per annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.13,500/- per month(which shall be equal to minimum of pay band+ grade Pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount@Rs.405/ (3% of minimum of the Pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefit such as senior /selection scales etc. will be given .

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis.The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting onemonth service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days special leave. He/She shall not be entitled for Medical Re imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed casual leave, medical Leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically, lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from the duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time.

However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/ fitness issued by the Medical Officer,as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a Certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will be temporarily unfit till the Confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness by an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of pay scale.

(h) Provision of service rules like FR, SR, leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees ,will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

ANNEXURE “B”

Form of contract/agreement to be executed between the Section Holder (Binding) & the Government of Himachal Pradesh through--Controller Printing and Stationery. H.P.

This agreement is made on this.....day of..... in the year
Between Sh/Smt.....S/o/D/o Shri R/o.....
Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **Section Holder (Binding)** on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Section Holder (Binding)** for a period of one year commencing on day of ----- and ending on the day of It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipsofacto stand terminated on the last working day i.e. on ----- and information notice shall not be necessary.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be **Rs.13,500** /- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good. Or if regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual **Section Holder (Binding)** will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave 10 day's Medical Leave and 5 days special leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual **Section Holder (Binding)**.

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from the duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time.

However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whenever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidate's pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.

 (Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2.

 (Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

उद्योग विभाग 'भौमिकीय शाखा'

शुद्धि पत्र

शिमला -171001, 14 अक्टूबर, 2014

संख्या: उद्योग-भू0(खनि-4)लघु-24 / 2003-भाग-II-8013.—जिला ऊना की लघु खनिज खानों/ खड्डों की निविदा सूचना का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 7-10-2014 को किया गया था । जिसमें किसी कारणवश निम्नलिखित शर्तें सम्मिलित नहीं हो पाई थी । अतः इनको सम्मिलित कर शर्तों का शुद्धि करण इस प्रकार से किया जा रहा है ।

शर्त नं0-35 :- 'ठेके की स्वीकृति व खनन कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित SLP (C) No. 13393/2008 जो कि माननीय उच्च न्यायालय हि0 प्र0 द्वारा याचिका संख्या CWP No. 1077/2006 खतरी राम व अन्य के मामले पारित निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है, के अन्तिम निर्णय के अनुरूप ही मान्य होगा ।

शर्त नं0-36:- शर्त नं0-35 को शर्त नं0-36 माना जाये व इस शर्त में वर्णित संख्या 34 को 35 माना जाये।

हस्ता /
भू विज्ञानी,
हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 4 / 2013

तारीख मरजुआ : 30-12-2013

तारीख पेशी : 15-11-2014

श्री हेत राम पुत्र श्री धनू पुत्र थोला, निवासी मोहाल टूल (छटेरा), उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

श्री अभीराम पुत्र धनू पुत्र थोला, निवासी मोहाल (छटेरा), उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
कब्जा दुरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थी श्री हेत राम ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि इन्तकाल नं0 2, दिनांक 21-5-2000 के अनुसार खाता/खतौनी नं0 13/35 खसरा नं0 36 व खाता/खतौनी नं0 14/36, खसरा नं0 22 व 33 का तबादला हुआ था, परन्तु मौका पर कब्जा पहले की तरह कायम है। इस अदालत द्वारा प्रतिवादी को बार-बार समन जारी किए गए व मौका छानबीन के दौरान भी प्रतिवादी को समन जारी किए गए परन्तु वह जानबूझ कर हाजिर नहीं हुआ। अतः इस अदालत को यह विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी की समन की तामील साधारण तरीके से नहीं की जा सकती है व प्रतिवादी

जानबूझ कर अदालत में हाजिर नहीं हो रहा है। अतः बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि प्रतिवादी को इस बारा कोई एतराज व उजर हो तो वह दिनांक 17-11-2014 को अपराह्न 2.00 बजे तक अदालत में आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा यह समझा जाएगा कि प्रतिवादी को इस दुरुस्ती बारा कोई एतराज नहीं है व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

आज दिनांक 15-10-2014 को अदालत की मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।